

सारे पापी हस्क की मांग पंजाब और राजस्थान में है। यह वह समय है जब कि किसानों को इस उत्पाद का बंध, मूल्य 1000-2000 रुपये प्रति क्विंटल मिलना था किन्तु पटवा सिडीकेट का घातक प्रणाली के कारण किसान को मात्र 200 से 250 रुपया क्विंटल मूल्य ही मिल रहा है। मान्यवर, सारा पापी हस्क उत्तर प्रदेश के माध्यम से पंजाब भिजवा कर प्रति क्विंटल करीब करीब तीस हजार रुपया न० 2 में बभूला जाएगा। यह एक जबर्दस्त घपला है जिसकी जांच की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार सीधे तौर पर इस नीति के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि सीधे तौर पर पापी हस्क भी नारकोटिक्स विभाग द्वारा नियंत्रण फसल उत्पाद है और इसका अर्बन्ध व्यापार नारकोटिक्स ऐक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इस पर भी सजा और दंड के वे ही प्रावधान लागू होते हैं जो की अफीम और अन्य मादक वस्तुओं के अर्बन्ध व्यापार पर लागू होते हैं।

महोदय मेरा आपके माध्यम से सरकार और वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि अपने सक्षम अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से विगत पांच वर्षों का संपूर्ण ब्योरा इस संबंध में लिया जाए। देश के सभी अफीम उत्पादक राज्यों को पापी हस्क पर एक जैसा विक्रय कर लागू करे और राज्य सरकारों के इस वित्तीय प्रावधान पर अपना अंकुश लगाए। सरकार मध्यप्रदेश की इस वर्ष की लाइसेंसिंग व्यवस्था की समीक्षा करे और लाइसेंस उदार शर्तों पर दे ताकि भावों के लिए प्रतिस्पर्धा का केन्द्रान बढ़े। साथ ही मंदसौर जिले के डोडामुरा व्यापारियों के गोदाम सील किए जायें और उनके संग्रह को राजसात किया जाए। इसके अतिरिक्त समूचे प्रकरण को सी. बी. आई. को सौंप कर मामले की जांच की जाए और जांच में जो लोग दोषी पाए जायें उनको कड़ी सजा दी जाए। महोदय मेरा अंतिम आग्रह यह है कि पापी हस्क के व्यापार के लाइसेंस पूरे देश में एक ही नीति के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए जाए न कि राज्य सरकार के द्वारा। धन्यवाद।

Discussion on the working of the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now proceed with the discussion on the working of the Ministry of Civil Supplies. Mrs. Sushma Swaraj to speak. It seems she is not here now. She was present earlier. Then, Mr. Kapil Verma. (Interruptions).

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN (Andhra Pradesh): Sir, when will the Minorities Commission Bill be taken up? (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall proceed with some discussion now. (Interruptions).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, the Minister has been waiting here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I know. I have already called the speaker, Mr. Kapil Verma. They only want to know when we are going to take up the National Commission for Minorities Bill. You want to respond to that, Mr. Jacob?

SHRI M. M. JACOB: Sir, we have allotted two hours for the Minorities Bill and one hour or so for the other Bill. Now, two and a half hours are left.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Yes, it would not be possible...

SHRI M. M. JACOB: Actually, at 6 o'clock, there is a Half-an-hour Discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I don't think the Minorities Bill will be taken up today.

SHRI M. M. JACOB: I have not yet concluded, Sir. My humble suggestion is, let us go with this up to 6 o'clock. Let us try to conclude this debate by 6 o'clock and then take up the Half-an-hour Discussion. Then let us adjourn. And tomorrow we can take up the other two Bills.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I think this is a good suggestion, and the House should follow this. Yes, Shri Kapil Verma.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Why not postpone the Half-an-hour Discussion and take up the Minorities Bill?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Salariaji, I have already called Shri Kapil Verma. Please keep this in mind that we have to conclude this by 6 o'clock.

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very grateful to you for giving me an opportunity to participate in this important discussion. This is important because, to my mind, this subject has assumed very great significance because of the high prices. Inflation has crossed 30 per cent, and our Party manifesto has also emphasised on the need to hold the price line and to strengthen the Public Distribution System. Sir, with that in view, the new Government has planned to re-organise the PDS, to revamp the PDS. In fact the PDS was so far urban-oriented, and hardly half of the villages of the country were covered by it. That is why the present Government led by Shri Narasimha Rao has identified 1700 new blocks for PDS, and the target was to open 11,000 new outlets. I am told that about 7,000 outlets have already been opened. But, Sir, it is important that the working of the PDS is improved. Sir, as we all now, the fair price shops

are 40 to 45 years old. All of us are well-acquainted with their functioning. And I don't think many people are satisfied with their functioning. As we know, they have become centres of blackmarketing. In fact, PDS is meant for the poor people. But the poor people hardly get much relief out of it. This is because the dealers who have been allotted the fair price shops are indulging in blackmarketing. There the stocks are very limited. They bring the stocks for some time and then dispose of them to their favourite people and then they say that they do not have any stocks. The foodgrains and the other commodities that they bring are also of inferior quality. So, the real benefit is not going to the poorer classes. As everybody knows, for most of the shops, there are thousands of bogus cards made. These cards are used for diverting the stocks meant for the poor people. The prices of the essential commodities sought to be sold by the fair price shops have been raised. There is a shortage of essential commodities also. There is irregular supply. I am mentioning these things so that the Minister may kindly look into it.

As far as the news reports go, the Cabinet Committee on Prices which monitors the prices, has already got the feedback. I will not waste the time of House by quoting from those reports or what the official spokesman said. The fact remains that there is a lot to be done to improve the PDS. The Government is trying to give more and more foodgrains to the people. In fact, 18 million tonnes have been given this year as against 14 million tonnes last year. But all this is not going to benefit the poor unless the fair-price shops are run properly, unless the poor classes are able to get the real benefit out of it. Important thing is that this system and this scheme must work properly. I would suggest that a special drive should be undertaken to eliminate bogus ration cards and also the basket of the essential commodities supplied

from the fair-price shops should be enlarged to include coarse grains and other items used by the poor in the villages. These shops are no longer urban-oriented. Our Prime Minister is very keen on the PDS. That being so, steps must be taken to strengthen the system. I would also suggest for the Food Ministers to consider whether our rural development schemes could be converted into food for work schemes, so that wages need not be paid in cash; it should be paid in kind through these fair-price shops. This is very necessary. As some newspapers have suggested, the margin allowed to the dealers running fair-price shops should be enhanced a little, because these fair-price shops have become centres of black market. The poor people hardly get any relief. For a few days some stocks will be there but these will disappear later to be sold in the black market. Quality of goods is bad and the poor people do not get the items they need. As a result, the main objective of having these fair-price shops is defeated. Then there are losses also due to transportation and storage. I would suggest that the Food Corporation of India which buys foodgrains from villages, should be transferred to this Ministry so that there is better coordination.

I think it was in 1987 that an Act was passed by the Parliament towards consumer protection, and I am told that this Act is going to be amended on the basis of the recommendations of the Working Group set up by the Consumer Protection Council. I would request the Minister to enlighten the House about the particular recommendations which the Government has accepted on the main provisions of this Bill, because the most important thing is to create consumer resistance. If we have to bring down the prices, if we have to ensure proper running of the fair-price shops and if we have to see that the dealers don't indulge in blackmarketing, we have to awaken the public opinion. We have to build public opinion. We

have to mobilise public opinion. For this, we have to build a strong consumer movement. That is why our Prime Minister has laid more emphasis on the functioning of the vigilance committees. He has invited Members of Parliament and Legislatures to have a close look at the functioning of the PDS. In this, all of us have to put our heads together. We have to improve the PDS because this is the basic thing. The millions of tonnes of foodgrains given by the Government will not be of any help unless the PDS is improved. The PDS cannot be improved unless there is a strong public opinion, unless we are able to reform the system. Therefore, I would request the Government to pay special attention to this. A people's movement should be built. All the political parties have to co-operate in this.

I would also like to mention that the super bazar has done good work in the sense that it selling atta, potato, medicines and things of this kind. There should be a chain of super bazars all over the country. There are. But unfortunately, the co-operative stores,—at least, in UP— are in a very bad way. It has to be reformed. Special attention must be paid to it. If these agencies are corrected, to a certain extent, the market forces can be controlled. The Government's main objective of holding the price line cannot be achieved unless all the people co-operate in this. The Government has to give a lead. The political parties have to give a lead and ensure that the Government implements this programme.

श्रीमती सुबमा स्वराज (हरियाणा) :
 उपसभाध्यक्ष जी मेरा एक निवेदन था
 आपसे कि सात तारीख को जब मैं बोस
 रही थी चर्चा में हिस्ता ले रही थी
 ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI
 BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
 Your speech was inconclusive.

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी हां
इन्कनक्लूसिव थी और मुझे आज ...
(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The rule is, if a Member's name is called and he is not present, the Member forfeits the right. But the power rests with the House whether to hear you or not. What is the sense of the House?

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): Let her speak.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): We can never say 'No' to her.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can speak. You can conclude your speech now.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभा-
ध्यक्ष जी: मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ इस
सदन के साथी सदस्यों की जिन्होंने यह
अनुमति प्रदान की है लेकिन मैं अपनी
समय सीमा का ध्यान रखूंगी। मुझे मालूम
है कि मेरे दल को एलाट किया गया
समय समाप्त हो गया है इसलिए मैं केवल
दो या तीन मिनट के अंदर ही अपनी
बात समाप्त कर दूंगी।

मैंने उस दिन चर्चा में हिस्सा लेते
हुए सार्वजनिक बितरण प्रणाली के बारे
में कुछ बात कही थी। कुछ और बातें
मेरे जहन में थी जिन्हें मंत्री जी के
ध्यान में लाना चाहती थी लेकिन समया-
भाव के कारण मैं अब उसको तो नहीं
कहूंगी केवल कंप्यूटर प्रोटक्शन एक्ट जो
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके
बारे में दो बातें कर मैं अपना
स्थान ग्रहण करूंगी और अपने वक्तव्य
की समाप्ति की घोषणा करूंगी।

उपसभाध्यक्ष जी यह जो अधिनियम
आया है इससे पहले हिंदुस्तान में उप-
भोक्ता यह समझ कर चलता था कि
चीज जैसी भी मिले जितने में भी मिले

जिस भी तौल या माप में मिले उसी
को खरीदना उसकी नियति है।

लेकिन इस एक अधिनियम ने आकर
के उसको यह जताया कि चीज जैसी
भी मिले उसको खरीदना तुम्हारी नियति
नहीं, बल्कि सही चीज खरीदना, सही
दाम में खरीदना सही तौल और सही
माप से खरीदना तुम्हारा अधिकार है।

इसलिए सरकार बहुत ही बधाई
की पात्र है जिस समय यह अधिनियम
आया और इस अधिनियम के माध्यम
से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के
बारे में पता चला। इस उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम के नीचे प्रीवांसेज फोरम बने
हुए हैं जिला स्तर पर भी राज्य स्तर
पर भी और प्रदेश स्तर पर भी उन
फोरम के लोगों के कुछ अपने अनुभव
हैं। उन अनुभवों के माध्यम पर उन
अनुभवों के आधार पर उन्होंने उपभोक्ता
संरक्षण परिषद् में कुछ संशोधन रखे
इस अधिनियम में डालने के लिए।
अब 31 मार्च 1992 को केंद्रीय उपभोक्ता
संरक्षण परिषद् की बैठक हुई थी, जिसमें
यह स्वीकार भी कर लिये गये थे।

मुझे यह अपेक्षा थी कि शायद
इसी सत्र में एक विधेयक लाकर के
सरकार उस अधिनियम को संशोधित
करेगी मगर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा
न होने के पीछे कारण यह है कि कुछ
मंत्रालयों द्वारा ही उन संशोधनों का
विरोध किया जा रहा है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि
अगर आप वाकई उपभोक्ताओं के प्रति
जागरूक है उनके अधिकारों को दिलाना
चाहते हैं तो विभिन्न मंत्रालयों के इन
विरोधों के आगे न झुके और उन संशोध-
नों को स्वीकार करके विधेयक को
पारित करें। जैसे मैं उदाहरण के तौर
पर केवल दो बातें बताना चाहूंगी कि
स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात का विरोध
कर रहा है कि जो निशुल्क मरीज
सेवाएँ लेते हैं अस्पतालों की उनको
इसकी परिधि में नहीं आना चाहिए।

5.00 P.M.

अब यह कितनी अमानवीय दलील है ? यानी पैसा दे करके अगर आप सरकारी अस्पताल के डाक्टर से सेवा लेते हैं और कोई गलती होती है, आपके साथ कोई अन्याय होता है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप निःशुल्क सेवा लेते हैं यानी अगर आप गरीब हैं और तब अगर कोई सेवा लेते हैं तो वह कहते हैं कि नहीं उस गरीब को कोई अधिकार नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उसको कोई आश्रय नहीं मिलना चाहिए। इससे ज्यादा अमानवीय बात और क्या हो सकती है ? यानी वह आदमी गरीब है इसलिए उसको मरने का अधिकार है। इसलिए उसके साथ कोई अन्याय हो जाए तो वह नहीं रोक सकता। इसी तरह रेलवे वाले कहते हैं कि हमारे यहां तो रेलवे क्लेम्ज ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। इसलिए हमारी सेवाओं के विरोध में आप कैसे जा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई गलती होती है ? अब आप तो जानते हैं रेलवे क्लेम्ज ट्रिब्यूनल केवल स्टेट कैपिटल पर है जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो फोरम थे वह जिला स्तर तक प्रचलित हैं। क्यों आप एक व्यक्ति को बाध्य करते हैं कि वह जरूर स्टेट कैपिटल पर ही जा करके रेलवे क्लेम्ज ट्रिब्यूनल के सामने जाए ? समय कम है, मैंने केवल उदाहरण के तौर पर बताया है इस तरह के विरोध मंत्रालय लगा रहे हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इन मंत्रालयों के इन विरोधों के आगे वह न झुके और यह जो संशोधन केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् पारित कर चुकी है स्वीकृत कर चुकी है उनको पास कराने के लिए एक विधेयक अब इस सत्र में तो नहीं आ सकता लेकिन जुलाई के मानसून सत्र में यह जरूर लेकर आए और उस वर्षाकालीन सत्र में उसको पास करा करके इस अधिनियम का और ज्यादा धारदार और बहुत ज्यादा कारगर बनाने की कोशिश करें।

इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासक) : धाम कोआपरेट करेगी तो

मिनिस्टर जरूर लायेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अब मैं पुनः सदन के साथियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अनुमति दी और आपका भी धन्यवाद करती हूँ।

SHRI RATNA BAHADUR RAI (West Bengal): I thank the Chair for permitting me to participate in the discussion. I thank my hon. colleague Shri Ahluwalia too for initiating the discussion on the working of this vital Ministry.

Though abound in plenties ours is a poor country. Rapid strides it is making in the field of all-round developments are not proving fruitful for the majority of the people due to the inequalities in the distribution of our national wealth which is the inherent character of the present ecopolitical system itself. It is an irony of fate that on the one hand we are advancing towards newer vistas of accomplishment and excellencies in the field of science and technology; on the other hand, our achievements have failed to bridge the ever-increasing hiatus between the poor and the prosperous people of this country even after 44 years of independence. And in the main it is the root cause of growing social and political tensions and conflicts. For the majority of the people, living in utter privations, like the recent victims of starvation deaths in Madhya Pradesh, Orissa, Tripura and Maharashtra, the only philosophy of life that has remained is survivalism. Other noble values of life have become irrelevant and meaningless.

In such a situation, the prime concern of a responsible Government should be to guarantee two square meals for its every citizen at least for a bare living or survival. Other commitments are secondary. That is why, the responsibility of the Ministry under discussion is of immense importance and it is directly linked with the elementary needs of the people. This Ministry is entrusted with the function of monitoring of prices and

[Shri Ratna Bahadur Rai]

availability of essential commodities, public distribution system, regulation of weights and measures, standardisation of quality control, consumer protection, etc. It also includes consumer cooperatives. Generally speaking, the Ministry seems equipped with high profile objectives and mechanisms to provide near-safe guarantees. But what is the reality? Let us say, it is a stark and bitter reality - crores of people living below the poverty line hundreds dying of hunger every year, millions of children and adults suffering from malnutrition, alongwith ever-swelling ocean of the unemployed, price levels ever touching newer heights with inflationary trends on the runaway. The number of unemployed in the country till July 1991 has crossed 3.55 crores as recorded in the live registers of Employment Exchanges. According to the report published in the Economical Survey 1991-92, the wholesale price index of foodgrains had touched 223.1 in December 1991. This survey has admitted that the price situation was under pressure throughout 1990-91 despite a satisfactory monsoon for three years in succession. This report has further revealed that the annual rate of inflation in regard to rice, wheat, edible oil, sugar and fertilizers as on 1st February 1992 was 28.13, 17.24, 8.23, 18.11 and 37.44 respectively while the overall price increase as registered by the wholesale price index was 11.7 per cent and the annual rate of inflation on a point-to-point basis as on 1st February 1992 was 12.1 per cent. From these statistics it is evident that the common people are undergoing severe hardships due to this price situation. On the one hand Government has failed to contain this trend and, on the other, unscrupulous traders are having a field day.

[The Vice-Chairman (Shrimati Sushma Swara) in the Chair]

Emphasis is laid on the cooperative movement to save the consumers. But consumers' cooperatives, in the ab-

sence of adequate funds and necessary help from the Government, are in a weak condition throughout the country. Moreover, such consumers' cooperatives are not supplied with adequate and quality goods in an orderly manner. Unless these cooperatives are provided with efficient infrastructure and supplied with quality goods, they will not be able to survive in this age of competition in the open market.

Madam, one of the most disturbing features which this Ministry has failed to check is the rampant sale of below-standard goods and adulterated or contaminated food items. There are well-organized underground rackets in the production, manufacture or sale of various items with fake brand names. Even medicines are not spared. In the rural areas, taking advantage of the innocence and gullibility of the common people, cheating in weights and measures by the sellers or traders has become an usual practice. No stringent measures are adopted to inspect and detect such offences and bring the culprits to book.

Madam, in the meantime, as the functioning of the Public Distribution System has become the focal point of the discussion, I may add a few words in this deliberation. The main objective of the Public Distribution System should be foolproof food security for the poorer sections of the people from the onslaughts of price hikes, profiteers, hoarders and black-marketeters. All essential commodities should reach, at predetermined but affordable prices, such people living even in the remotest corners of the country, be they drought-prone areas, inaccessible tribal tracts or hazardous hilly areas. Madam, it is a welcome move that the Central Government have launched the Revamped Public Distribution System from the beginning of this year with a target of setting up 11,000 Fair Price Shops in 1,698 blocks throughout the country, adding 2.4 million new ration card holders in the existing roll, covering a population of 17 to 1

crores under this ambitious scheme. One thousand additional godowns with a total storage capacity of 2,30,000 tonnes of foodgrains are also proposed to be set up. Madam, four months have already elapsed since then. We are not aware of the progress achieved during this period. Even a half-way assessment of this newly launched Revamped Public Distribution System, cannot be made now.

Madam, however, there are allegations that the Central Government seldom fulfils the quota allocated for the States. Sometimes only 20 to 25 per cent of the total allocation is released. No sufficient godowns are there for the storage. In the absence of strict vigilance, corrupt dealers at times just take delivery of the foodgrains and dispose of them immediately in the black market. Sometimes standard foodgrains are substituted with sub-standard ones even unfit for consumption, during transport shipment. It is alleged that the rate of transport charges fixed by the Government is far lower than the market rates and that also the commission given to such shops is meagre which has become an excuse for the dealers to resort to corrupt practices through the fair-price shops.

Another disturbing feature of this system is the presence of a sizeable number of ghost and bogus cards which has already been pointed out by the earlier speakers. If a proper survey is made, it will be found that such cards are far more than the estimated 10 lakhs. Besides, in interior villages the dealers seldom distribute all items prescribed to the consumers. In such areas neither are the consumers conscious enough nor are there any mechanisms to check such malpractices. In the villages of Darjeeling Hills, where I reside, we have bitter experiences of this. Ration shops, FPSs and MRSs, are fortunes from which the dealers, in connivance with corrupt officials, manipulate the number of beneficiaries and sell the foodgrains to the black-marketeers. Be-

sides this, in many areas such shops are to cover vast areas, due to which genuine card-holders are not able to collect their rations because of transport hazards.

Taking all these hindrances into consideration, primarily the Government should ensure an effective infrastructure for the success of the PDS. Though it is a gigantic task, unless it is ensured, the genuine people will not be benefited. Further, to ensure the availability of essential commodities and check hoarding and black-marketing, all prevalent legislations should be enforced vigorously and new ones should be enacted, if necessary, if the present legislations are not effective enough.

In this context, the most important thing, I want to remind, is to keep and stabilise the prices of essential commodities within the very reach of the poor. During the last two years the issue prices of foodgrains have been increased three times. Being compelled by the conditionalities of the IMF and the World Bank, the Central Government has reduced the subsidies on foodgrains from Rs. 2,850 crores in 1991-92 to Rs. 2,500 crores in 1992-93. Similarly, the fertilizer subsidy was cut down from Rs. 5,205 crores in 1991-92 to Rs. 5,000 crores in 1992-93. Such policies should be changed.

At least 14 essential items should be brought under the purview of the PDS, and the per-unit allocation of foodgrains should be increased. At present the PDS has been confined largely to urban areas. More than half of the over 5 lakh villages in the country are out of this Scheme. In urban areas, pockets like slum, jhuggis or construction complexes should be covered. But the major thrust should be given to rural areas, and the present system of urban bias should be done away with.

Madam, the last but not the least factor to be reckoned with to keep the poor people at least at the level

[Shri Ratna Bahadur Rai]

of subsistence is to guarantee or expand and increase their purchasing power. If we cannot ensure the economic accessibility of these people to food, our self-reliance in foodgrains too will not be able to check starvation deaths. That is why launching of employment-generating schemes and effective land reforms are imperative.

As rightly stated by the hon. Finance Minister during his Budget speech, agriculture is the bedrock on which our economic development depends, but still 3.3 per cent of the richer people control 30 per cent of the rural land and 63 per cent of the rural people have only 10 per cent of the land in their hands. Unless this shackle is torn asunder through radical land reforms, the condition of the rural poor cannot be changed. The main targets of the Eighth Five-Year Plan, as envisaged in its Approach paper, are food for everybody and increasing of the purchasing power of the poor. To achieve this goal, not only the effectiveness of this Ministry, but also the attitude and political will of the Central Government itself for the real implementation of above-mentioned programmes are involved. This is the basic question for a foolproof food security.

However, let us hope the Central Government will try to plug the loopholes of the existing mechanism to make it most effective so that the public distribution system may not turn into a political gimmick or an empty populist gesture.

श्री छोटा भाई पटेल (गुजरात) :
उपसभामध्यक्ष महोदया आज बहुत खुशी की बात है कि सिविल सप्लाइ कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का एक अनुभवही चेरर पर बैठे हुआ है और मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री जी श्री कमालुदीन अहमद जी बड़ी दिलचस्पी से अपना पोर्टे फोल्या संभाल रहे हैं जो बड़ी खुशी की बात है और कमालुदीन जी सोभाव्यशाली भी हैं कि

हमारे प्रधान मंत्री जी भी इस मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी से वह इसे संभाल रहे हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा है कि जब तक आप इस चेरर पर रहेंगे, आप चाहे साइंस एंड टेक्नालाजी का पोर्टे फालियो रखें मगर गरीबों को जो कार्यभार है इस पोर्टे फोल्यो को अपने हाथों में ही रखिए। मेरी विनती को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया है और मुझसे कहा है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक सिविल सप्लाइ का पोर्टे फालियो मैं ही रखूंगा। इसलिए मैं आदरणीय कमालुदीन जी को सोभाव्यशाली मानता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने इसलिए यह पोर्टे फोल्यो अपने हाथों में ले रखा है कि हमारा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक 85 करोड़ की तादाद में है और 65 करोड़ की ग्रामीण बस्तियों में फला हुआ है। यह बहुत बड़ा गरीब देश है और गरीब देश में गरीबों के लिए काम करने के लिए अग्रणी प्रधान मंत्री जी कुर्सी पर शोभायमान है और उन्होंने गरीबों के काम के लिए जो जिम्मेदारी स्वीकारी है, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैंडम, सामान्यतः मैं समझता हूँ कि यह पोर्टे फोल्यो, यह डिपार्टमेंट बहुत पचीदा है, जो हाथ में रहता है। बहुत कम लोगों को इसमें सफलता मिलती है, मैं यह नहीं जानता मैंडम कि आपको सफलता मिली थी या नहीं मिली थी, मगर बहुत कम मिनिस्टर्स को इसमें सफलता मिलती है। सफलता नहीं मिलती है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह सक्षम नहीं है। मगर इसके बारे में जो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग एंड प्रोग्राम एफिशिएंटली करना चाहिए और इसका अमलीकरण सही ढंग से हमें करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का यह हमारा जो दूसरा पार्ट है, इसमें बड़ी असुविधा होती है। तो इसके बारे में काफी मेरे साथियों ने कई बातें कहीं। मैं भी कुछ चन्द बातें आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा।

अभी जो पी.डी.एस. रिवीपिंग का प्रोग्राम, अभियान हमारे राजस्थान से शुरू

हुआ है और करीबन मैं समझता हूँ कि 1698 पी.डी.एस. के इनीशियल स्टेज में शुरू हुआ है। मगर हमारे आदरणीय मंत्री जी ने दिलचस्पी लेकर उसे ग्यारह हजार कर दिया जिसमें 24 लाख राशन-कार्ड होल्डर्स आते हैं। इसमें 16 करोड़ लोगों को इसमें सुविधा देने के लिए प्लानिंग की है। यह बड़ी अच्छी बात है। लोगों को जागृत करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफी अभियान चलाया है, जिसकी वजह से हमारे देश के गांवों में जो यह संदेश नहीं पहुंचता है, वह संदेश पहुंचाने के लिए कम्प्रेहेंसिव एक्शन प्लान बनाया है जिसके तहत हमारा संदेश अन्तर ज्यादा होने की वजह से धीरे-धीरे जाएगा। परंतु संदेश गांवों तक पहुंच रहा है, यह बुरी की बात है।

मंडम, सारे देश में बिहार का जो गरीब इलाका है, उड़ीसा का जो गरीब इलाका है, मध्य प्रदेश का जो गरीब इलाका है और गुजरात का जो गरीब इलाका है, उन इलाकों में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जनरली, आफिसर्स हिल्स एरिया में, डाट-प्रोन एरिया में, डेजर्ट एरिया में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां जाना मुश्किल है। इसलिए वहां की बात यहाँ हमें मालूम नहीं होती है। मगर जो शासन चलाने वाले हैं, चाहे दिल्ली में हों, चाहे हर स्टेट की राजधानी में हों, वह सब जानते हैं कि इसका उपाय कैसे किया जाए? मगर उपाय करने में बड़ी मुश्किल आती है और उस मुश्किलता में मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब जो प्रोग्राम बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी।

मंडम, मैं गुजरात की थोड़ी बात करूँ तो गुजरात में लोगों के लिए जो सरकार भाग रही है, उन्हें वह मांग के मुताबिक नहीं मिल रहा है। हमें हर महीने 8 हजार मेट्रिक टन एडिबिल आयल चाहिए। चार महीने पहले मैंने यह बात

इस हाउस में कही थी, फिर भी इसके अमलीपारण में जो कुछ होना चाहिए, आदरणीय मंत्री जी, वह नहीं हो रहा है। हमें अभी भी 1986 की प्रोजेक्टड पापुलेशन के मुताबिक चीनी मिलती है, जबकि अब तो 1991 चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई लोजिक नहीं है। तो गुजरात की चीनी की मांग के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। इसके साथ ही हमें एक लाख टन गेहूँ चाहिए और 43 हजार टन चावल हमें हर महीने चाहिए। मगर हमारी मांग वह पूरा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शापद केंद्रीय सरकार के दिमाग में ऐसा ही कि इसमें से कई लोग हैं जो अनाज नहीं लेते हैं इसलिए इतना कम भी दे देंगे तो चल जाएगा। इसमें कुछ बात में दम है लेकिन अनाज के बारे में यह सोचना गलत बात है। चीनी के बारे में मैं समझ सकता हूँ हमें यह करना चाहिए। चीनी जितनी मिलती है हरेक स्टेट उतनी चीनी का इस्तेमाल नहीं करता है। मान लीजिए कि नार्थ ईस्ट में चीनी का इस्तेमाल कम होता है। ट्राइबल एरिया में, डाऊट प्रोन एरिया में चीनी का इस्तेमाल कम होता है। हमारे यहाँ 32 ब्लाक्स, 8 डिस्ट्रिक्ट्स ट्राइबल एरिया में हैं वहाँ चीनी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो वह चीनी कौन ले जाते हैं? वह चीनी झुग्गी-झोंपड़ी वाले नहीं ले जाते हैं बल्कि जो महलों में रहते हैं वह ले जाते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट के जरिए इस सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए ताकि हम इस चीनी को बचा सकें।

इसी तरह एडिबल आयल की बात है। मंडम, जो एडिबल आयल हम करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशों से मंगते हैं वह एडिबल आयल गरीबों तक नहीं पहुंचता है और फेयर प्राइज शाप्ट से सीधा आपन मार्केट में चला जाता है। मैं तो मैथमी-टीशियन नहीं हूँ मगर हमारे देश में 3.68 लाख फेयर प्राइस शाप्ट हैं। इसमें से कितनों का एडिबल आयल सीधा मार्केट में जाता होगा। जो विदेशी मुद्रा हम खर्च करते हैं उससे हमें काफी हानि होती है। तो मुझे लगता है कि जो अहम बातें हैं, जिससे इस डिपार्टमेंट को ज्यादा नुकसान

[श्री छोटू भाई पटेल]

उठाना पड़ता है उसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए ।

महोदया, हमारे देश में 58 मोबाइल वैन हैं और हमारे आदरणीय मंत्री जी अभी 50 मोबाइल वैन और देने जा रहे हैं । मैं समझता हूँ कि मोबाइल वैन जो डी.पी.ए.पी. में दे सकते हैं, हिली एरिया और ट्राईबल एरिया में मोबाइल वैन का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए और ज्यादा मोबाइल वैन वहाँ भेजने चाहिए । अभी मोबाइल वैन सुपर बाजार में हैं जहाँ सारी चीजें मिलती हैं । तो मुझे लगता है कि वहाँ मोबाइल वैन ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए । मैंने पहले भी कहा था कि एक सैपरट मोबाइल वैन कैरोसिन के लिए शुरू करना चाहिए । मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूँगा, और देश के 65 करोड़ लोगों की तरफ से गुजारिश करूँगा कि मिट्टी का तेल झुग्गी-झोंपड़ी वाले शाम को लेते हैं । सुबह 6-7 बजे वे निकल जाते हैं और शाम को 6-7 बजे आते हैं और वे उस समय लाइन में कहां खड़े होंगे । घर के ज्यादातर मँबर्स तो काम करते हैं और अगर कोई घर में होते हैं तो वे बच्चे संभालते हैं । तो कम से कम कैरोसिन तेल वहाँ दिया जाय और सही टाइम पर, सही स्थान पर भोजना चाहिए और शेड्यूल के मुताबिक मोबाइल वैन चलनी चाहिए ताकि हमारे मैनपावर की खपत कम हो तो कम से कम कैरोसिन तो हमें देना चाहिए जिससे कम से कम गरीबों का चूल्हा तो जल सके । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि काफी टाइम गरीबों का चूल्हा नहीं जलता है ।
I come from Bulsar district.

इसमें धर्मपुर ब्लाक जो है वह हिंदुस्तान का दूसरा पिछड़ा हुआ ब्लाक है । वहाँ कैरोसिन मिलता नहीं है । जंगल में

से लकड़ी लाते हैं तो फारेस्ट वाले पकड़ लेते हैं, पैसे लेते हैं, काफी हैरान-परेशान करते हैं । तो एक छोटी सी बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ । कि कैरोसिन कम से कम हम अपने झुग्गी-झोंपड़ी वाले भाइयों को दे सकें और उन तक सही टाइम पर पहुंचाने की कोशिश करें ।

आपने जागरूकता अभियान चलाया है । वह जागरूकता अभियान सही था । मगर यह सब केवल अरबन एरियाज के लिए है । सारे देश के लिए जरूर है, मगर इसका इस्तेमाल जो हुआ उसमें नई स्कीमें जो बनती हैं इनका बँनिफिट पैसेदार लोग लेते हैं । जिनके पास पैसे नहीं हैं वह नहीं लेते हैं । मगर इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे आदरणीय मंत्री जी मीडिया को स्ट्रेथन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से मीडिया को हम स्ट्रेथन कर रहे हैं । मुझे लगता है कि काफी टाइम के बाद इसमें लोगों को एक संतोष पहुंचेगा और संतोष पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि कंप्यूमर्स के लिए कौन कौन से सरकार ने कदम उठाए हैं उनके बारे में भी जनता में जागृति आएगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) :
पटेल जी आपके दो मिनट और हैं । . . .

श्री छोटूभाई पटेल : मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जरा हमारे ऊपर कृपा आपकी हो जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) :
यही मैंने आपसे कहा कि दो मिनट और हैं आपके ।

श्री छोटूभाई पटेल : मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा मगर मैडम हमारे गुजरात में अभी जो हमारे कर्नाटक के हमारे साथी ने कहा था स्टेपल फूड की कमी है । स्टेपल फूड हर एक स्टेट को चाहिए । ऐसा स्टेपल फूड हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए । जैसे नाथ ईस्ट में लोग गेहूँ नहीं खाते हैं वहाँ हम गेहूँ भेजते हैं ।

जहाँ पंडी क्राप एरिया है जहाँ चावल लोग खाते हैं वहाँ चावल नहीं भेजते हैं। वे रोटी नहीं बनाते हैं। तो स्टेपल फूड हमको अपनी डिमांड के मुताबिक यहाँ से मिलना चाहिए।

महोदया, फेयर प्राइस शाप्स की जहाँ तक बात है मैंने भी फेयर प्राइस शाप चलाई है। मगर आपके माध्यम से मैं सरकार से और आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इन्वॉयरी कराइए कि 6 फाइव डियर प्लान और 7 फाइव डियर प्लान में दस साल में फेयर प्राइस शाप्स ने कितना घाटा किया। हमारे बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में फेयर प्राइस शाप्स ने कितना घाटा किया है। वह घाटा कैसे पूरा किया जाएगा। हम ने यह देखा है कि यदि हम आर्नेस्टी से उसको चलाएंगे तो घाटा ही घाटा होगा। हमने तो जान बूझकर फेयर प्राइस शाप्स चलाने वालों को एक इंटरनल लाइसेंस दिया है कि आप इसमें से हो सके तो इतना कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कांफिडेंसिव ऐक्शन प्लान बनाना चाहिए। हमारे मुल्क में जो इंबैलेंस है तो मार्केट इंबैलेंस है उस को बैलेंस करने के लिए हमें मार्केट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्यादा ध्यान कैसा होना चाहिए। हमें ज्यादा क्राप प्रोडक्शन करनी चाहिए। अब एडिबल ऑयल बहुत महंगा हो गया। उसको प्रोडक्शन कम हो गई। लेकिन हमने जो टेक्नोलाजी मिशन चलाया इसके बाद हम 18 लाख टन प्रोडक्शन कर पाए। फिर भी हमें जो घाटा हो रहा है वह बर्दाश्त करते हुए 3.90 लाख टन एडिबल ऑयल मंगा रहे हैं। यह प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। मार्केट में ज्यादा आना चाहिए ताकि गरीबों को सही दाम में चीज मिल सके। अभी-अभी सरकार ने चावल में 45 पैसे बढ़ाया है गेहूं में 87 पैसे बढ़ाये हैं, चीनी में 79 पैसे बढ़ाये हैं। हमारे जो मजदूर काम करते हैं जो हाथ से काम करते हैं उनको काम करने का जो पैसा मिलना चाहिए कम्पेरेटिवली प्राइस हाइक के मुताबिक वह उसको नहीं मिलता है तो वह कैसे चीजें खरीद सकता है। (व्यवधान)

मैंने कहा कि केन्द्रीय सरकार सही टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट को अपना कोटा नहीं देती है। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट ब्लाक को और ब्लाक विलिज को सही दाम पर सही टाइम पर कोटा नहीं देती है। होता क्या है कि महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में चीनी आती है गेहूं आता है चावल आता नहीं है और दूसरी चीजें आती हैं। मगर मजदूर के पास गरीब लोगों के पास पैसा इतना नहीं होता है कि वह सारी आइटम्स उस समय खरीद सके। मुझे लगता है कि जो आइटम नहीं दी गई है हमारी वजह से, हमारी गलती से, उसको कैंरी फॉर्वार्ड किया जाए ताकि दूसरे महीने में वह ले सके।

लास्ट में फेक कार्ड के बारे में कहना चाहता हूँ। अपने देश में 5 करोड़ की तादाद मिलती-जुलती नहीं है 91 के सेंसस के मुताबिक। इसे घटाया जाए मुझे लगता है मिनिस्टर्स एम०पीज एम०एल०एज० डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ब्लाक प्रेजिडेंट और जनता के प्रतिनिधि को इसको जिम्मेदारी देनी चाहिए उसको रिस्योसिबिलिटी देनी चाहिए ताकि बोगस कार्ड कुछ कम हो सके। नजदीक से आब्जर्व कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें काफी सुधार कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी-अभी जो अभियान चलाया उससे 4 महीने में 1,13,322 लोगों को कम करा दिया। फिर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 36 हजार की तादाद ज्यादा है। मुझे लगता है इस बारे में जो फेक कार्ड हैं We have to fix the responsibility of the Block Magistrate, not the District Magistrate.

इसमें जो कुछ घपला हो सकता है इसको कंज्यूमर सेल में आने का मौका ही नहीं देना चाहिए, गरीब लोग जो फरियाद करते हैं कम्प्लेंट करते हैं उसके मुताबिक, उसके आधार पर सही मानकर हमें काम चलना चाहिए। मुझे लगता है यह जो बात मैंने कही है यह अहम बातें हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इसमें विलम्बशी ली है और

[श्री छोटाभाई पटेल]

इसके लिए काम आरम्भ किया है । मिनिस्टर साहब ने इसमें गरीबों के लिए काफी सुधार किया है । आपने जो मुझे ज्यादा टाइम दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ ।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा) :
मैडम हाउस में मेम्बरों की हाजिरी को देखते हुए ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की जरूरियाँ जिन्दगी की चीजों पर बहस पसन्द नहीं है ।

श्री शंकर बयाल सिंह (बिहार) :
वे लोग रोजमर्रा की चीजें दूढ़ने गये हैं ।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मुझे बड़ा अफसोस है कि भ्रष्टाचार, मिलावट, कम तोलना, ब्लैक मार्केटिंग, होडिंग मनाफा-खोरी मिडिलमैन की लूट ये सारी बातें इस हाउस में बताई गईं । लेकिन ऐसा लगता है कि हमें इन सारी दिक्कतों की इन सारी बीमारियों की आदत हो चुकी है और हम इसे बदलित कर रहे हैं ।
We have become accustomed to it.

यह परमानेंट हो चुका है । अहलुवालिया साहब बैठे हैं । वह जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह जो मिनिस्टर हैं सिविल सप्लाइ की इसको रिवेम्प और रिस्ट्रक्चर करना चाहिए । उस वक्त भी मैंने सोचा था कि क्या यह सरकार की गलती नहीं है कि फूड और सिविल सप्लाइ के महकमें अलग अलग कर दिये गये ? फूड और सिविल सप्लाइ का महकमा एक ही होना चाहिए । फूड नहीं होगा तो सिविल सप्लाइ कहाँ से होगी ? मैं तो एक मिनिस्टर और जोड़ना चाहता हूँ श्री कमालुद्दीन साहब के लिए और वह मिनिस्टर है फेमिली प्लानिंग की या फेमिली वेलफेयर की । जिस स्पीड से हमारी तादाद बढ़ रही है आबादी बढ़ रही है और इंसानियत घट रही है, मिलावट बढ़ रही है, उसमें हम कितने लोगों को खिला-पाएंगे ? इसलिए बजाय कोई अन्य इस काम को करे, यह महकमा कमालुद्दीन साहब को दिया जाना चाहिए और इनको

केनेबिट रैंक का मिनिस्टर बना देना चाहिए । मैं इनको जानता हूँ ये निहायत ही अच्छे इंसान हैं ।

मैडम यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है । जितनी चीजें हमें चाहिए सस्ता कपड़ा, सस्ती धोती, साबुन, खाने के लिए दालें, आटा, चीनी, खाने के तेल मिट्टी का तेल, ये सब कुछ हमारे पास है कोई कमी नहीं है । लेकिन कमी बनावटी पैदा की जाती है नकली कमी पैदा की जाती है ताकि तीन गुने चार गुने और पांच गुने दाम मिडिलमैन वसूल कर सके । मेरे दोस्त मिट्टी के तेल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि घरों में मिट्टी का तेल इस्तेमाल लिए उपभोक्ता को मिलना चाहिए । अगर उनके घरों तक मिट्टी का तेल मिले तो पेट्रोल में मिलाने के लिए मिट्टी का तेल कहाँ से मिलेगा । मिट्टी का तेल ढाई रुपये, तीन रुपये, में मिलता है और पेट्रोल 15 रुपये में मिलता है । मिट्टी का तेल घरों में मिल जाएगा तो पेट्रोल पम्प वाले क्या मिलाएंगे । अफसोस की बात है कि इन सारी बातों का हमें पता है सरकार को भी पता है कि मिडिलमैन खा रहा है बेईमानी कर रहा है । लेकिन किसी भी सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया है । अभी तो यह हालत है कि पैदा करने वाले को पैसा नहीं मिलता और खाने वाले को अनजान नहीं मिलता या अच्छा नहीं मिलता सही दाम पर नहीं मिलता । जब हम छोटे थे तो एक कहावत सुना करते थे । दो बिल्लियों को कहीं से एक डबल रोटी मिल गई तो दोनों में झगड़ा हो गया कि इसको कैसे बाँटें । कहीं से यह सब एक बन्दर देख रहा था । उसने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा एक तराजू ले आओ । उसने इस ढंग से टुकड़े तोड़े कि कभी एक छोटा कर दे और कभी दूसरा बड़ा कर दे और बराबर करने के लिए आप खाता रहा और अंत में सारी डबल रोटी खा गया । यह तो बिल्लियों का झगड़ा था जिसमें मिडिलमैन फायदा उठा गया । लेकिन यहाँ तो पैदा करने वाले और खाने वाले में कोई

मगड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी मिडिल मैन खा रहा है और हम सो रहे हैं इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था जो दो एक्टों के बारे में है। एक तो एसेसियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 है और दूसरा प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटेनेन्स आफ सप्लाय आफ एसेसियल कमोडिटीज एक्ट, 1980 है। इसमें लिखा था—

“The enforcement of the Essential Commodities Act, 1955, and the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, continues to provide a deterrent to black-market-eers.”

अब हम कितना डिटेरेन्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यह मैं आपके द्वारा इस हाउस में बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की अपनी फीगर के मुताबिक 29 फरवरी 1992 तक सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो फीगर्स दी गई है उसमें कुल 1 लाख 64 जार रेड्स हुईं। इनमें से जिन लोगों को प्रोसेक्यूट किया गया उनकी संख्या 6 हजार 690 है। और आगे चलिए मंडम, जिन लोगों को सजा हुई, 11 नंबर आफ पर्सन्स कन्विकटेड इज आंग्ली 281 और मैंने इसका हिमाब लगाया। यह 37 साल की फिगर्स हैं, सरकार आठ आदमियों को भी इस माल में सजा नहीं दिला पायी। इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मैनीट्यूट से यह करप्शन हो रहा है, मिलावट हो रही है और आपके पास दो कानून हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जो एजेंसी है, जो उनको प्रोसीक्यूट करती है, जो रेड करती है वे एजेंसियाँ इनसे भी ज्यादा करट है। जिनके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं कि ये लोग इसको ठीक करेंगे यही करण्ट हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर साहब हमें एक शर मुताया करते थे

कुदरत खुदा का देखिए, कबूतर का गिर गया वह पर,

जिसपर था मेरा नामा बधा हुआ

हम लोग उन एजेंसियों पर डिपेंड कर रहे हैं जो खुद करप्शन से भरी पड़ी हैं तो कैसे वह उनको ठीक करेंगे ?

मंडम, सब्सिडी के बारे में मैंने देखा कि सरकार करोड़ों करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। अकेले गेहूँ और चावल के ऊपर दो हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी है। यह सब्सिडी क्यों दी जा रही है ? यह सब्सिडी इस वास्ते दी जाती है कि गरीब आदमियों को सस्ता अनाज और आटा मिल सके। नहीं तो इस सब्सिड को देने का कोई मकसद नहीं होता। लेकिन मंडम, यह बात सच है और इस बात को कोई झूठला नहीं सकता कि इस सब्सिडी का फायदा जिन लोगों को पहुंचना चाहिए, उन लोगों को नहीं पहुंच रहा है। ये चीजें उन तक नहीं पहुंच रही हैं। ये चीजें जो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं जाती और मिडिल मैन के पेट में चली जाती है। मैं मंत्री जो महोदय से यह कहना चाहूंगा कि या तो आप ऐसा सिस्टम बनायें, इस सारे सिस्टम को बदलकर, जिसमें कंज्यूमर्स खुद इन्वाल्व हों। उनकी कमेटियाँ बनें। सरकार उनके लिए जो सामान मुहैया कराती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वे खुद करे और ये जो राशन की दुकानें, फेयर प्राइज शाप और कंज्यूमर स्टोर हैं इन सब को बंद कर दें ताकि जो असली माल है उसे जिन तक जाना चाहिए उन तक पहुंच सके और अगर आप इस मामले में नाकामयाब रहते हैं तो आप इस सब्सिडी को बंद कर दीजिए। इसमें यह जो करोड़ों करोड़ रुपया सरकार का जाता है इसका कोई फायदा नहीं है। महोदया, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि या तो सब्सिडी का फायदा गरीब लोगों तक जाना चाहिए वरना यह सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए।

मंडम, हमारी हालत अब यह है कि लोगों ने आवाज उठाना भी बंद कर दिया है। एक घंटे के लिए मिट्टी के तेल की दुकान खलेगी और चार-पांच उपभोक्ता जो ज्यादा शोर करते उनको वह मिल जाएगा और फिर दुकान बंद हो जाएगी और सारा का सारा मिट्टी का तेल

[श्री महन्ध्र सिंह लाठर]

पेट्रोल पंप पर जाकर बिक जाएगा। इसी तरह से जो सस्ता कपडा है, सरकार कहती है कि हम लोगों को सस्ता कपडा दे रहे हैं लेकिन वह सारा सस्ता कपडा लोगों को नहीं मिलता है और वह सारा बाजार में, दुकानों में चला जाता है। मंडम, आप तो हरियाणा में मंत्री रही हैं और आपके पास यह महकना भी रहा है। आपको मालूम होगा कि पामोलीन आयल, जो खाने का तेल होता है और इम्पोर्ट किया जाता है, वह भी गरीब लोगों में बांटने के लिए होता है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है और सब जानते हैं कि यह पामोलीन आयल कभी किसी को नहीं मिलता। यह कंज्यूमर और उपभोक्ताओं को नहीं मिलता और सारा का सारा ब्लैक मार्केट के जरिए हलवाईयों के पास चला जाता है। सारी चीनी, जितनी राशन की चीनी है, थोडा बहुत, नेग्लिजेंबल लोगों के पास जाती है और बाकी सारी चीनी और सारा पामोलीन आयल जितना होता है वह हलवाईयों के पास ब्लैक में बिक जाता है और उससे हलवाई मिठाई बनाकर फायदा उठाते हैं।

मंडम, इसी तरह कोयला है। हमें इस चीजों के लिए दर दर मारे मारे फिरना पडता है। सरकार खुश होती है कि हमने बहुत बढिया काम कर दिया। मैं तो कमालुद्दीन साहब से यह चाहूंगा, कि अगर मिलावट को समाप्त कर दें और इस महकमें में थोडा बहुत सुधार ला दिया, कुछ न कुछ मिडलमैन के ऊपर उन्होंने हाथ डाला और कुछ लोगों में भी आपको यह विश्वास पदा करना चाहिए कि वह जा कर लड़ें। उनमें इतने गुट्स होने चाहिए कि जो डिपो होल्डरचीनी, तेल, कपडों और सारी चीजों को ब्लैक में बेच रहा है। उसका घेराव करें, उसको पुलिस के हवाले करें। लेकिन हमें तो आज इन सब चीजों को बर्दास्त करने की आदत सी हो गई है। आपके महकमें और आपकी मिनिस्ट्री की इम्पोर्ट्स भी मैंने देखी है। इस पर 30 तारीख को डिसक्शन होना था। 30 तारीख से शुरू होते होते आ 13 तारीख हो गई है। मंत्री महोदय, भी रोज यहाँ आते हैं। जिनका नाम

होता है वह भी रोज आते हैं। लेकिन यह इतनी इम्पोर्ट मिनिस्ट्री है, हमारे जीवन के साथ इसका इतना वास्ता है, इसके मुकामले में हर आइटम को तर्जुही दी जाती है चाहे थोफोर्स का मसला हो, चाहे शेयर मार्केट का मसला हो, चाहे कोई और स्कैंडल हो या कोई बात हो। मैं समझता हूँ इस मिनिस्ट्री को जितनी इम्पोर्ट मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इस तरफ अगर हम उपभोक्ताओं की, कंज्यूमर्स की कोऑप्रोेटिव ब्यां गांवों में कोऑपरेटिव सोसायटीज बनाएं जिनके माध्यम से चीनी, अनाज, तेल दालों की वितरण हो, बक्त पर वितरण हो और और किसी का हक कोई दूसरा न खा सके। हालांकि शहरों के अंदर तो फिर भी लोग आवाज उठाते हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि गांवों के अंदर तो सारी राशन की दुकानें कागजों के अंदर ही हैं। वास्तव में वहाँ राशन की दुकानें ही नहीं है। धारा कोटा बाहर का बाहर ही ब्लैक मार्केट में बिक जाता है। गांवों वाली को पता नहीं होता है। फेक राशन कार्ड की बात होती है। मैं समझता हूँ इस देश में सब कुछ फेक हो रहा है। यहाँ पर तो सच्चाई बाकी नहीं रह गई है। लेकिन हमें इन ताकतों के आगे हथियार नहीं डालने हैं। मैं तो अपोजिशन पार्टीज से भी यह कहूंगा कि जितना जोर हमारे में है, हमें इस मामले में सरकार का साथ देना चाहिए तथा जो कमियां हैं उनके नोटिस में लानी चाहिए। जो बेईमान लोग इस देश का नुकसान कर रहे हैं उनको पकड कर सजा दिलाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। मंडम, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam Vice-Chairman, I just want to make one point....

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS (SHRI GULAM NABI AZAD): Very good.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: The Minister says that it is good because he also wants to go early. Madam.

the point is that the Food Ministry is with somebody else and the supply Ministry is with somebody else. So when bad food is supplied, the receiving end, that is, the consumers, do not know whether he is responsible or not. We all abuse him because we get bad supply of food. Why this is happening is because the bags are not machine-stitched. The Government of India has taken a decision long back, that is, about seven years back, to machine-stitch bags 100 per cent. But only a small quantity is being machine-stitched. I will request the hon. Minister to take it up with the Food Ministry that bags must be machine-stitched 100 per cent. On 8th May, 1992, I had asked Unstarred Question No. 1408 to which the Food Ministry said that they had increased the rates of stitching from 20p to 95p per bag. But that is also low. My suggestion is that whatever tenders are the lowest or whatever quotations are the lowest have to be accepted. The result of the present restriction is that out of 110 million tonnes I think only about 1,000 tonnes were machine-stitched last year in the case of wheat. At this speed, even within the next hundred years we will not reach the hundred-per-cent level. I would request the Minister to take this up. If there is machine-stitching, there will be no adulteration in transit and there will be no shortage in transit. This is the basic purpose. Otherwise, the moment it comes to the fair price shops, they say, "This is how we have received." There is hand-stitching only. So, they open the bags and adulterate the grains and start selling to the consumers. Therefore, this is the only point which I wanted to raise and draw the attention of the honourable Minister to it. Thank you, Madam.

SHRI MISA R. GANESAN (Tamil Nadu): Thank you very much, Madam, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the working of the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution System.

Madam, the main object of the public distribution system is to prevent the creation of artificial scarcities, to control inflation and to protect the standard of living of our people, especially those belonging to the poorer and the economically weaker sections for the benefit of the underserved and unserved areas, the chain of fair price shops was raised often. In 1983-84, the number of fair price shops stood at 3.02 lakhs and, in 1990-91, it increased to 3.61 lakhs. Recently, the Prime Minister has announced a measure for a major revamping of the public distribution system when he launched the revamping of the PDS at Barmer in Rajasthan, a chronically dry land. I think the Government is going to adopt a three-fold strategy to revamp the whole scheme:

(1) to evolve a delivery system that provides the specified essential commodities to the fair price shops at their doorsteps;

(2) to ensure the availability of essential commodities to the consumers at pre-determined and affordable prices; and

(3) to progressively extend the coverage of commodities to include everyday essentials which have relevance to the nutritional and social needs of the consumers.

Madam, I want to put one question to the honourable Minister: Is the revamped public distribution system going to benefit the people at large? That is the main question now. The Government has identified 1,700 blocks and has decided to open 11,000 more fair price shops. My point is that unless the essential commodities including foodgrains actually reach the vulnerable sections at reasonable prices, the revamped public distribution system would fail to achieve its purpose. I think the Minister has in his mind, in order to restructure the public distribution system, the idea of introducing the exclusion method, that is, striking off a substantial section of ration card holders from avail-

[Shri Misa R. Ganesan]

ing themselves of the benefit of the supply of subsidized foodgrains and other essential commodities. Madam, according to me, this is not a welcome measure and I feel that it will put you into trouble. I would like to request the Minister to do some rethinking on this because, recently, in Tamil Nadu, the Government fixed the income ceiling for ration cards at Rs. 750/- for the supply of rice and, immediately thereafter, within 24 hours, changed and removed that income ceiling because the public at large started agitating on the same.

In the public distribution system, there are bogus ration cards, as has been pointed out correctly by some of the earlier speakers, and these bogus cards are there in almost all parts of our country. If proper measures are taken for eliminating these bogus cards, then the Government need not burn its fingers on the exclusion method which, I think, they are seriously determined to go ahead with. The elimination of bogus cards which are estimated to be about one million would, in the long run, make the public distribution system much more effective. Approximately 25 lakhs of bogus cards are there in Delhi alone and this is the figure given by the Minister himself!

I want to put a specific question to the Minister. Can he work out, with all the forces at his command, a fool-proof mechanism to strike off the better off from the public distribution system in order to accommodate the bonafide people? You cannot do this thing. Better try to eliminate quickly and effectively one million bogus cards. This will definitely help the system.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI SUSHMA SWARAJ): Mr. Ganesan, I have to interrupt you for a moment. In today's List of Business, we have a fixed-time business. At 6 o'clock, we have a Half-an-hour

Discussion and I will have to take it up at 6 o'clock.

SHRI MISA R. GANESAN: I will finish in two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI SUSHMA SWARAJ): After that discussion is over, you can continue your speech, if the House so desires. Or else you continue tomorrow.

SHRI MISA R. GANESAN: I will finish in just two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN SHRI-MATI SUSHMA SWARAJ): You can continue your speech tomorrow or after this Half-an-hour Discussion is over.

SHRI MISA R. GANESAN: I am leaving now. I will speak tomorrow.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमति सुषमा स्वराज): हाऊस की सहमति क्या है—हाफ-एन-आवर के बाद सदन चलेगा और यह चर्चा अधूरी रहेगी। तो उसके बाद इस मंत्रालय की चर्चा चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं ?

SHRI MISA R. GANESAN: I will continue tomorrow, Madam.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमति सुषमा स्वराज): हाफ-एन-आवर डिसकशन तो होगा, आज होगा और आज ही कम्प्लीट होगा। देखते हैं कि हाफ-एन-आवर डिसकशन कितनी देर चलता है। उसके बाद निर्णय करेंगे। अगर हाफ-एन-आवर डिसकशन जल्दी खत्म हो गया, तो इसको जारी रखेंगे। अगर वह थोड़ा चला, तो (व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, he is going to complete within two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MATI SUSHMA SWARAJ): Are you going to complete within two minutes?

SHRI MISA R. GANESAN: After the Half-an-hour discussion means, you have to give me time only tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI SUSHMA SWARAJ): You can complete within two minutes?

SHRI MISA R. GANESAN: Yes, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI SUSHMA SWARAJ): I think, the House should permit him. Okay, you finish within two minutes.

SHRI MISA R. GANESAN: Thank you, Madam.

Madam, effective steps have to be taken to bring down the prices of certain commodities like the edible oils. As per the projections of the Planning Commission, the requirement of edible oils during the year 1990-91 was estimated at 60.26 lakh tonnes. As against this, the estimated net supply of edible oils from domestic source was only 54 lakh tonnes. Then, how can the gap be met? The answer is only through imports. But imports could not be arranged beyond 1.5 lakh tonnes because of the foreign exchange crunch.

Madam, to stabilise the wholesale prices of oils within the upper and lower price band limits, and to improve their availability in the country, the only way is to buffer stock the edible oils in the surplus years.

In the distribution of essential commodities, consumer cooperatives should be called upon to play a greater role. Since these co-operatives exercise a healthy influence on the market price of essential commodities of mass consumption by adopting fair trade practices, this could be the best instrument to supply the essential commodities in rural areas. Madam, I urge upon the Central Government to give adequate financial assistance to the co-operative movement for the development of consumer co-operatives in urban areas for their sponsored schemes.

Madam, the Government has to generate awareness in consumers about their rights and how to exercise

them. I suggest that exhibitions and seminars have to be conducted periodically throughout the country to provide information to consumers about various measures available to them to protect their rights against the evils of adulteration, short and other unfair trade practices, and quick, simple, and inexpensive legal remedies available under the Consumers Protection Act. The Central Government has to issue necessary orders, Madam, to those States and Union Territories which have not yet set up the Consumer Protection Councils.

Before concluding, Madam, I want to stress that to prevent abuses in the system, strict supervision is to be exercised by the Vigilance Committees to be set up for the purpose. These Committees consisting of beneficiaries and the voluntary organisations have to monitor the actual receipt and distribution of foodgrains by the individual fair price shops. Bogus ration cards must be eliminated. Madam, in time, additional commodities such as tea, salt, pulses and soap are also to be distributed through the PDS.

Madam, my suggestions to the hon. Minister are involvement of local beneficiaries, including women, local MPs and MLAs in the Vigilance Committees, building of more godowns nearer to a cluster of fair price shops, provision of transport and credit facility to the agencies operating the PDS which would definitely help the poor in less endowed rural and remote areas. Thank you, Madam.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer to Unstarred Question No. 114 given on 28th April, 1992 regarding 'regular operation of auction platforms of tobacco'

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI SUSHMA SWARAJ): Now we will take up Half-an-hour Discussion.